राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/61

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	43/25	25/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री कालू पिता रामा मीणा .... श्री छीतर पिता उगमा ....

निवासी जालम की झोपड़ियां .... निवासी उदलीखेड़ा ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट   अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस

डिक्रीदार   मदयून

श्री J.C.D. .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 26

Crim I

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 43 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/2/2025	प्रार्थना–पत्र रीडर से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी / जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 वास्ते 3-11 पेश हों। उप खण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO ... दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 वास्ते 3.81 पेश हों। उप खण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी बाद पुकार अनुपस्थित रहे। विपक्षीगणों को उवार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली में विपक्षीगणों के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किए गए। आदेश के पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय ... बिजौलियाँ जिला-...

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भील...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 53/2025 दिनांक : 25/2/2025

1 कालू पिता दामा जाति मीणा उम्र वयस्क निवारी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

2 परस्या पुत्र दामा मीणा उम्र वयस्क निवारी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

3 भेरूलाल पिता दामा मीणा उम्र वयस्क निवारी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

4 दामा पिता नाथू लाल मीणा उम्र वयस्क निवारी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

.......प्रार्थीगण

बनाम

1 छीतर पिता उगमा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उकलीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

– : आदेश : – **दिनांक 25/3/2024**

प्रार्थना पत्र हम कालू, परस्या, भेरूलाल पिता दामा , दामा पिता नाथू, सभी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 244 पर अंकित आराजी 1433/515 कुल किता 02 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमांबन्दी सम्वत 2074 से 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। भु अभिनिरक्षिक बिजौलिया कंला को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 244 पर अंकित आराजी 1433/515 कुल किता 02 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

दिनांक :– 15 / 2 / 2025

प्रकरण संख्या – 43 / 2025

प्रेषिति :–

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :– प्रकरण संख्या 43 / 2025 पत्थरगढी बाबत् ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज.)।

1 कालू पिता दामा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

2 परस्या पुत्र दामा मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

3 भेरूलाल पिता दामा मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

4 दामा पिता नाथू लाल मीणा उम्र वयस्क निवासी जालम की झोपडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा राज0

.......प्रार्थीगण

बनाम

1 छीतर पिता उगमा जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी उकलीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम धनवाड़ा पटवार हल्का माल का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 244 पर अंकित आराजी 1433 / 515 कुल किता 02 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु–अभिनिरक्षिक बिजौलियाकंला को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढ़ी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा